न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दावा संख्या 71/22 दायरा दिनांक 21.12.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–लिथरू पुत्र कंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

2–पुरूषोत्तम पुत्र कंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

3–गुड्डी पुत्री कंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

4–रामकली पुत्री कंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

5–भूरिया पत्नि मुरारी –फोत

5.1 राजेन्द्र पुत्र मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.2 संतोष पुत्र मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.3 अशोक पुत्र मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.4 अरविन्द पुत्र मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.5 गुड्डी पुत्री मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.6 शीला पुत्री मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.7 सुरभि पुत्री मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

6–जगदीश पुत्र चिन्टू जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

7–गुमानसिंह पुत्र चिन्टू जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

8–चैयति बाई पुत्री चिन्टू जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

9–परमो वेवा चिन्टू जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

वादीगण

बनाम

1–श्यामलाल पुत्र रघुनाथ जाति नाई निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:48:37 IST
Reason: SelfAttested

05/05/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

2– रमेश पुत्र रघुनाथ जाति नाई निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां राजस्थान

3–स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां राज0

प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय दिनांक– 05.05.2025

उपस्थित – वादीगण की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम कस्बानौनेरा में खसरा नं. 559 रकबा 0.03 बीघा कृषि भूमि स्थित है। वादीगण वहैसियत कृषक उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। वादपत्र में इसे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त खाते की जमीन का वादीगण का पत्थर कोट रखा हुआ है। प्रतिवादी कम 1 व 2 बिना किसी विधिक अधिकार के वादीगण के खाते की जमीन में दिनांक 06.10.2022 को नींव खोद मकान निर्माण तीव्र गति से प्रारम्भ कर दिया है। वादीगण के मना करने पर लडाई झगडा करने को आमादा होते हैं। प्रतिवादीकम 1 व 2 के धमकी व कृत्य से वादीगण के अपने हक काश्त को भारी आसन्न संकट उत्पन्न हो गया। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीकम 1 व 2 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करें। वादकारण 06.10.2022 को प्रतिवादीकम 1 व 2 द्वारा नींव खोदकर मकान निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादीकम 3 सर्वोच्च भूस्वामी होने से वाद पत्र में प्रफोर्मा पक्षकार है जिनके विरूद्व कोई सहायता नहीं चाही गई है। वादपत्र का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः प्रतिवादीकम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीकम 1 व 2 विवादित भूमि ग्राम कस्बानौनेरा पटवार क्षेत्र कस्बानौनेरा में खसरा नं. 559 रकबा 0.03 बीघा पर किसी प्रकार का मकान निर्माण नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें।

वादीगण [illegible] गई। प्रतिवादीगण जरिये वकील दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण [illegible] उपस्थित हुये, जिन्हे [illegible] अवसर दिये गये, परन्तु दिनांक 05.05.2025 को प्रतिवादीगण तथा उनके अधिव[illegible] के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:48:37 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस [illegible] गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि वादीगण के खाते व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नं. 559 रकबा 0.03 बीघा ग्राम कस्बानौनेरा पर प्रतिवादीगण जबरन निर्माण कर रहे हैं, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है, वादीगण के मना करने पर भी प्रतिवादीगण

05/05/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

नहीं मान रहे हैं और लडाई झगडा कर रहे हैं अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के हक में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम कस्बानौनेरा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 269 से प्रमाणित है कि विवादित आराजी खसरा नं. 559 रकबा 0.03 बीघा वादीगण के खातेदारी की है, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा दखलन्दाजी करने का कोई हक अथवा अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है और वादीगण विवादित आराजी की सीमाओं तक स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वैध हकदार पाये जाते हैं।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खाते व कब्जा काश्त की विवादित आराजी खसरा नं. 559 रकबा 0.03 बीघा ग्राम कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद पर कोई निर्माण आदि नहीं करें, ना ही कोई दखलन्दाजी करें। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

05/05/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:48:37 IST
Reason: SelfAttested